

प्रेषक,

राजेश कुमार त्यागी,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ०प्र०।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: सितम्बर, 2026

विषय:- माह अक्टूबर, 2026 में प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियन्त्रण एवं दस्तक अभियान तथा संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियन्त्रण एवं कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों के कार्य एवं दायित्व के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-765/पांच-5-2026 दिनांक 16 सितम्बर, 2026 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वेक्टर जनित रोगों, संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर प्रभावी नियन्त्रण तथा त्वरित उपचार सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं, अतः पूर्व के वर्षों की भांति व्यापक अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त के अनुपालन में प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2026 का तृतीय चरण दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक तथा दस्तक अभियान दिनांक 12 अक्टूबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सम्पादित किया जाना है।

3- उक्त पत्र दिनांक 16.09.2026 के बिन्दु संख्या-3 में पंचायतीराज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग के कार्य एवं योगदान निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं-

(1) जनसम्पर्क तथा जनजागरण

- (i) प्रशासक अपने ग्राम पंचायत में अभियान के नोडल होंगे।
- (ii) ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम निगरानी समितियों के माध्यम से दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों, जल जनित रोगों के विषय में निरंतर जागरूकता स्थापित रखना।
- (iii) ग्राम स्तर पर साफ-सफाई, हाथ धोना, शौचालय की सफाई तथा घर से जल निकासी हेतु जन-जागरण के लिये प्रचार प्रसार।
- (iv) दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों, जल जनित रोगों तथा एक्यूट डायरियल डिजीजेज (दस्त रोग) के रोक थाम हेतु " क्या करें, क्या न करें " का सघन प्रचार-प्रसार।

(2) शुद्ध पेयजल की व्यवस्था

- (i) उथले हैण्ड पम्प्स को लाल रंग से चिन्हित कर जनता को उनका प्रयोग न करने के लिए जागरूक करना।

- (ii) खराब इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं निरन्तर क्रियाशील रखना एवं उसके चारो ओर पक्का चबूतरा बनवाना।
- (iii) सामुदायिक वाटर फिल्टर्स, व्यक्तिगत वाटर फिल्टर्स तथा वाटर पम्पयुक्त टैंक टाइप स्टेण्ड पोस्ट की स्थापना (माइक्रोफाइनेन्स योजनाओं के द्वारा)।
- (iv) पेयजल स्रोतों/संसाधनों से शौचालयों की दूरी के उपाय, शौचालयों/सीवर से पेयजल प्रदूषित न होने देने के लिए आवश्यक उपाय।
- (v) पेयजल स्रोतों की जाँच कराना एवं असुरक्षित स्रोतों के संदर्भ में समुदाय/परिवारों को सूचित करना।

(3) वेक्टर कंट्रोल

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा फण्ड से एण्टीलार्वा छिड़काव की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी हाई रिस्क क्षेत्रों की सूची में उल्लिखित स्थानों पर सघन वेक्टर नियन्त्रण एवं संवेदीकरण गतिविधियां सम्पादित कराना। इस हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध पंचायत सहायकों एवं सफाई कर्मियों का प्रशिक्षण कराते हुये इन कर्मियों का भी प्रयोग इन गतिविधियों हेतु किया जाये।
- (ii) जलाशयों एवं नालियों की नियमित सफाई।
- (iii) अपशिष्ट/रूके हुए पानी तथा मच्छरों के प्रजनन की समस्याओं को रोकने के लिए गड्डो का भराव तथा मकानों के बीच कंकरीट अथवा पक्की ईंटो वाली सड़कों का निर्माण।
- (iv) झाड़ियों की कांट-छाट का कार्य करवाना।
- (v) जलाशयों एवं तालाबो से हाईसिन्थ पौधों की सफाई।

(4) वातावरणीय स्वच्छता

- (i) जल निकासी एवं साफ-सफाई, वाटर सील्ड शौचालयों की आवश्यकता ग्रामस्तर पर कचरा निस्तारण एवं प्रबन्धन व्यवस्था की विकास।
- (ii) संक्रमण तथा जल संदूषण की उत्तरदायी खुली नालियों को ढकना।
- (iii) सभी संवेदनशील ग्रामों में स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत ग्रामों में प्रत्येक मकान में शौचालयों का निर्माण कर ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त बनाना।
- (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ेदानो की स्थापना में सहयोग।
- (v) ग्राम स्तर पर ऐच्छिक स्वास्थ्य प्रेरक चिन्हित कर ग्रामवासियों के मार्गदर्शन हेतु इनका स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण सुनिश्चित करवाना।

4- उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग के द्वारा संचारी रोग नियन्त्रण अभियान माह अक्टूबर 2026 में किये जाने वाले कार्यों की ग्रामवार व माहवार कार्ययोजना तैयार कर ब्लाक तथा जिला स्तरीय समन्वय समिति में प्रस्तुत करते हुए ब्लाक/जनपद स्तरीय समेकित कार्ययोजना तैयार की जायेगी। प्रत्येक शनिवार को अन्तर विभागीय समीक्षा बैठको में तैयार कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की जायेगी। विभागवार लक्ष्य के सापेक्ष प्रत्येक शनिवार तक की गयी गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन

(ग्रामीण)/पंचायतीराज विभाग को हार्ड कापी/साफ्ट कापी में प्रत्येक शानिवार को ही सांयः ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। लक्ष्य के सापेक्ष अभियान की सम्पूर्ण क्रमिक आख्या मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) /पंचायतीराज विभाग को 05 नवम्बर, 2026 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

5- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाहियां समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by

RAJESH KUMAR TYAGI)

Date: 29-09-2026 14:02:37

संख्या व दिनांक:-तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- निदेशक, पंचायतीराज, उ०प्र०लखनऊ।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
- 5- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ०प्र०।
- 6- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०।
- 7- निदेशक, (संचारी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०।
- 8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 9- अधीक्षण अभियंता, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ०प्र० लखनऊ।
- 10- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं०) उ०प्र०।
- 11- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से,

ह०/-

(राजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।